आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना
२०१०-२०११ चे जिल्हानिहाय व योजनानिहाय अर्थसंकल्पीय
तरतुदीचे वाटप **"कामगार व कामगार कल्याण"**

**महाराष्ट्र शासन**
**आदिवासी विकास विभाग**
**शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१०/प्र.क्र.९ /का.६**
**मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२.**
**दिनांक :- १५ जून, २०१०**

**वाचा : १)**शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अंदाज-२०.१०/सीआर ६५/२०१०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ३ एप्रिल, २०१०
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अंदाज-२०१०/प्र.क्र. ७१/२०१०/अर्थसकल्प-३,दिनांक १८ मे, २०१०
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक टिएसपी-२००८/प्र.क्र.६/का.६, दिनांक १६.१२.२०१०.

**शासन निर्णय :-** आदिवासी उपयोजनांतर्गत "कामगार व कामगार कल्याण " या उपशिर्षाखाली २०१०-११ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदीचे व योजनांचे जिल्हावार वाटप आणि प्रत्येक योजनांचे अंमलबजावणी अधिकारी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविले आहेत.

२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील "कामगार व कामगार कल्याण" या उपशिर्षाखालील योजनांना सोबतच्या विवरण पत्रातील स्तंभ क्र.२ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच ती रक्कम स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या अंमजबजावणी अधिका-यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास मंजूरी देत आहे.

३. नियंत्रण अधिकारी आणि विभागप्रमुख यांनी ही तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील मान्य योजनांवर खर्च होतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच या तरतूदी खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी-२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, दिनांक २६ जुलै, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.५९/का-६, दिनांक १० नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत असलेल्या तरतूदी मासिक खर्च विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी.

४. विभागाच्या दिनाक १६ डिसेंबर, २००९ च्या शासन निर्णयाव्दारे जिल्हास्तरीय योजना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राबविण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले असल्यामुळे योजनेसाठी केलेली तरतूद त्याच योजनेवर त्याच जिल्ह्यात खर्च करणे बंधनकारक राहिल. त्यानुसार जिल्हा योजनेसाठी केलेली तरतूद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. तथापि, हाती घेण्यात येणा-या कामांची निवड व त्यांचा वरीयता क्रम संबंधित विभागातील जिल्हास्तरीय क्षेत्रिय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्त,आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांचेशी चर्चा करुन निश्चित करावी. तसेच जिहास्तरीय योजनेतील कामांची तपासणी करण्याचे अधिकार व जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच प्रकल्प अधिकारी व अपर आयुक्त यांची संयुक्तीकरित्या राहिल.

५. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लोकांकरिता वा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लोकांकरिता खर्च करण्यात यावी. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत केलेली तरतूद आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर किंवा सर्वसाधारण योजनेखाली खर्च करण्यात येवू नये. जर आदिवासी उपयोजनेत केलेली तरतूद खर्च झाली नाही तर सदर तरतूद प्रत्यार्पित करावी व कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च करण्यात येवू नये.

६ आदिवासी उपयोजनेची तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च झालेली आढळल्यास याबाबत विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, संबंधित जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच आदिवासी उपयोजनेंतर्गत जिल्हा योजनांसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल लेखाशिर्षनिहाय/उप लेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक

उद्दिष्टनिहाय माहिती जिल्हाधिकारी तसेच प्रकल्प अधिकारी यांनी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी.

७. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल व तो केंद्रशासनाला कळविता येईल.

८. नियंत्रण अधिकारी/विभाग प्रमुख यांनी नियम प्रचलित कार्यपध्दती व सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन चालू योजनांवर खर्च करावा. हे आदेश फक्त अंमलबजावणी /नियंत्रक अधिका-यांच्या अधिनस्त ठेवलेल्या तरतुदीस प्रशासकीय दृष्टया मान्य केलेल्या चालू योजनांवर खर्च करण्यासाठी आहे. याची अंमलबजावणी अधिका-यांनी नोंद घ्यावी.

९. **आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टिएसपी) व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (ओटिएसपी) यांचा खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविण्यासाठी लेखाशिर्षामध्ये काही बदल करण्यात आले असल्यास हे बदल लक्षात घेवून खर्च नोंदविताना सुधारित लेखाशिर्ष नोंदविण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी.**

**१०.** सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक **२०१००६१७१६०८३४००१** असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

श. र. सावंत १५/०६/१०

**( श. र. सावंत )**
**कार्यासन अधिकारी**

**कार्यासन अधिकारी**

**प्रति,**

संचालक, सेवायोजन, मुंबई. (३ प्रती )
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-१.
आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती.
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ.
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सर्व)
आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.(प्रत्येकी ५ प्रती)
उच्च व तंत्र शिक्षण विभा/वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.
प्रादेशिक उपसंचालक, तांत्रिक शिक्षण, नागपूर/पुणे/मुंबई/औरंगाबाद.
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक/ठाणे/नंदुरबार/गोंदिया/अमरावती/यवतमाळ/चंद्रपूर.
सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा, पर्यटन व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.(बजेट)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(अर्थ-१)
कार्यासन अधिकारी का.क्र.२, ६, १२ व १७ आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई.
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई
निवड नस्ती (का-६)

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०१०-११ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप

| **शिर्ष :-** कामगार व कामगार कल्याण<br>**योजनेचे नाव :-** आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण (रुपये हजारात ) | **मागणी क्रमांक :-** टी-५<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** २२३०-कामगार व सेवायोजन- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३- प्रशिक्षण-७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-आदिवासी भागातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार (२२३० ०७६४) ०१ वेतन, ०६ दूरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क, ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च, १३ कार्यालयीन खर्च, १४ भाडे,पट्टी व कर, २१ सामग्री व पुरवठा, २८ व्यावसायिक व विशेष, ३४ शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने, ५० इतर खर्च |
|---|---|

| **जिल्हयाचे नाव** | **२०१०-११ साठी केलेली तरतुद** | | **२०१०-११ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी** | **प्रशासकीय विभाग** | **शेरा** |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ |
| | टिएसपी | ओटीएसपी | | | |
| मुंबई उपनगर | -- | ५० | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| ठाणे | २१३०७ | -- | | | |
| रायगड | ४५३७ | -- | | | |
| रत्नागिरी | -- | १० | | | |
| सिंधुदुर्ग | -- | -- | | | |
| नाशिक | २२५८६ | २७०० | | | |
| धुळे | ६९८६ | -- | | | |
| नंदूरबार | १७४०६ | -- | | | |
| जळगांव | ५२२५ | -- | | | |
| अहमदनगर | ८००५ | १२० | | | |
| पुणे | २६०० | ७२५ | | | |
| सोलापूर | -- | १७७६ | | | |
| बुलढाणा | -- | ४५७ | | | |
| अकोला | -- | ५०० | | | |
| वाशिम | -- | -- | | | |
| अमरावती | १२११३ | -- | | | |
| यवतमाळ | ७००० | २१०० | | | |
| नागपूर | १००० | ४२१९ | | | |
| वर्धा | -- | ५०० | | | |
| भंडारा | -- | १३५० | | | |
| गोंदिया | ५८३० | ५०० | | | |
| चंद्रपूर | ४१०० | २७०० | | | |
| गडचिरोली | १२००७ | -- | | | |
| नांदेड | ४०१० | २००० | | | |
| उस्मानाबाद | -- | ५० | | | |
| **एकुण** | **१३४७१२** | **१९७५७** | | | |
| | **एकुण एकत्रित** | **१५४४६९** | | | |

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०१०-११ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप

| **शिर्ष :-** कामगार व कामगार कल्याण<br>**योजनेचे नाव :-** चालू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील यंत्रसामुग्रीची त्रुटी दूर करणे.<br>(रुपये हजारात ) | **मागणी क्रमांक :-** टी-५<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** २२३०-कामगार व सेवायोजन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३-प्रशिक्षण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०२) चालू औद्योगिक संस्थांची उपकरणांची त्रुटी भरुन काढणे (२२३० १५८२) ५२, हत्यारे व संयंत्रे |
|---|---|

| **जिल्हयाचे नाव** | **२०१०-११ साठी केलेली तरतुद** | | **२०१०-११ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी** | **प्रशासकीय विभाग** | **शेरा** |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ |
| | टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| ठाणे | ७५९० | -- | | | |
| नाशिक | १३०५० | -- | | | |
| नंदूरबार | ७१०० | -- | | | |
| जळगांव | २०० | -- | | | |
| अहमदनगर | ३०० | -- | | | |
| पुणे | १५४६ | -- | | | |
| अमरावती | ३२०० | -- | | | |
| यवतमाळ | १५०० | -- | | | |
| नागपूर | -- | ६०० | | | |
| गोंदिया | ६०० | -- | | | |
| चंद्रपूर | ५२२० | -- | | | |
| गडचिरोली | ८३०० | -- | | | |
| हिंगोली | --- | १७६० | | | |
| नांदेड | ६५० | -- | | | |
| **एकुण** | **४९२५६** | **२३६०** | | | |
| **एकुण एकत्रित** | | **५१६१६** | | | |

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०१०-११ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप

| | |
|---|---|
| **शिर्ष :-** कामगार व सेवायोजन<br>**योजनेचे नाव :-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी कार्यशाळा, प्रशासकिय इमारत, वसतीगृह व कर्मचारी निवासस्थाने बांधकाम<br>(रुपये हजारात ) | **मागणी क्रमांक :-** टी-६<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** ४२५०- इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी इमारती बांधणे<br>(४२५० ००५२) ५३-मोठी बांधकामे |

| जिल्हयाचे नाव | २०१०-११ साठी केलेली तरतुद | २०१०-११ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| नाशिक | १४६४० | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | बांधकामावरील टक्केवारी खर्च वगळण्यात आला आहे |
| धुळे | ८६९६ | | | |
| नंदूरबार | १७३४३ | | | |
| पुणे | ४३६९ | | | |
| अमरावती | २६०९ | | | |
| चंद्रपूर | ९८३ | | | |
| गडचिरोली | २५४८९ | | | |
| **एकुण एकत्रित** | **७४१२९** | | | |

**आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०१०-११ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप**

<table>
<tr><td colspan="3">शिर्ष :- कामगार व कामगार कल्याण<br>योजनेचे नाव :- चालू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जादा जागा सुरु करणे<br><br>(रुपये हजारात )</td><td colspan="3">मागणी क्रमांक :- टी-५<br>मुख्य लेखाशिर्ष :- २२३०-कामगार व सेवायोजन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३-प्रशिक्षण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०४) चालू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जादा जागा सुरु करणे<br>(२२३० १६०८) ०१, वेतन ५२, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री</td></tr>
<tr><th>जिल्हयाचे नाव</th><th colspan="2">२०१०-११ साठी केलेली तरतुद</th><th>२०१०-११ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी</th><th>प्रशासकीय विभाग</th><th>शेरा</th></tr>
<tr><td>१</td><td></td><td>२</td><td>३</td><td>४</td><td>५</td></tr>
<tr><td></td><td>टिएसपी</td><td>ओटिएसपी</td><td rowspan="13">संबंधित जिल्हाधिकारी</td><td rowspan="13">उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई</td><td rowspan="13"></td></tr>
<tr><td>ठाणे</td><td>७०१९</td><td>--</td></tr>
<tr><td>नाशिक</td><td>३५००</td><td>--</td></tr>
<tr><td>धुळे</td><td>४००</td><td>--</td></tr>
<tr><td>नंदूरबार</td><td>५००९</td><td>--</td></tr>
<tr><td>जळगांव</td><td>२०००</td><td>--</td></tr>
<tr><td>पुणे</td><td>१४००</td><td>--</td></tr>
<tr><td>अमरावती</td><td>३६८</td><td>--</td></tr>
<tr><td>यवतमाळ</td><td>२८८२</td><td>--</td></tr>
<tr><td>गोंदिया</td><td>४९७०</td><td>--</td></tr>
<tr><td>चंद्रपूर</td><td>४४६२</td><td>१८८२</td></tr>
<tr><td>एकुण</td><td>३२०१०</td><td>१८८२</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">३३८९२</td></tr>
</table>

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०१०-११ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप

| | |
|---|---|
| **शिर्ष :-** कामगार व कामगार कल्याण<br>**योजनेचे नाव :-** नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना<br><br>(रुपये हजारात ) | **मागणी क्रमांक :-** टी-५<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** २२३०-कामगार व सेवायोजन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३-प्रशिक्षण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०२) नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना<br>(२२३० १६१७) ०१, वेतन ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १३, कार्यालयीन खर्च १४, भाडेपट्टी व कर २१, सामुग्री व पुरवठा २८, व्यावसायिक व विशेष सेवा, ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)<br>५२, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री |

| **जिल्हयाचे नाव** | **२०१०-११ साठी केलेली तरतुद** | | **२०१०-११ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी** | **प्रशासकीय विभाग** | **शेरा** |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ |
| | टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| ठाणे | २५९६५ | -- | | | |
| नाशिक | ६२८७ | -- | | | |
| यवतमाळ | २४०२ | -- | | | |
| चंद्रपूर | ७१५० | १९२२ | | | |
| गडचिरोली | १९२ | -- | | | |
| नांदेड | १४४२ | १४४१ | | | |
| **एकुण** | **४३४३८** | **३३६३** | | | |
| **एकुण एकत्रित** | | **४६८०१** | | | |